

#### निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DESPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

भारतीय रिज़र्व बेंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोग/A wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India)

_www.dicgc.org.in_	

# परिसमाप्त बैंकों के लिए वसूली नीति

- 1. परिसमापक नियुक्ति प्राप्त होने पर, पहले जमाकर्ता डेटाबेस, नाम वार को अपडेट करके दावा सूची तैयार करेगा। यह प्राथमिकता पर अधिकतम निर्धारित अवधि के भीतर किया जाएगा।
- 2. परिसमापक बैलेंस शीट और अन्य रिकॉर्ड का जायजा लेगा और नकदी, प्रतिभूतियों, आसानी से वसूली योग्य परिसंपत्तियों, बैंक की स्थिर परिसंपत्तियों का आकलन करेगा और वसूली पूरी करने के लिए एक योजना तैयार करेगा। वह प्रारंभिक रिपोर्ट डीआईसीजीसी और आरसीएस को भेजेगा। परिसमापन की कार्यवाही पूरी करने के लिए आरसीएस द्वारा अनुमोदित एक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
- 3. परिसमापक आरसीएस से लिखित में परिसमापक की शक्तियों की मांग करेगा और जनता को सूचित करेगा कि डीआईसीजीसी को दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और वसूली योग्य परिसंपत्ति की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वह विफल बैंक को वसूली योग्य और गैर-वसूली के रूप में आरोपित परिसंपत्तियों को अलग करेगा और तदनुसार वसूली को प्राथमिकता देगा। वह प्रतिभूतियों और स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी शुरू करेगा, यदि नहीं किया गया है और सभी उधारकर्ता के खाते को नोटिस जारी करेगा जिनके द्वारा वसूली के लिए प्रासंगिक प्रावधानों के तहत विफल बैंक को पुनर्भुगतान किया जाना है। परिसमापक परिसमाप्त बैंक द्वारा की गई वसूली के लिए मौजूदा प्रक्रिया जारी रखेगा, जैसे अदालती मामले दायर करना, SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना और राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के तहत प्रदत्त अन्य वसूली शक्तियों का उपयोग करना।
- 4. प्रथम वर्ष के बाद परिसमापक बैंक की बैलेंस शीट/ट्रायल शेष राशि और अन्य अभिलेखों और नकदी, प्रतिभूतियों, वसूली योग्य परिसंपत्तियों, स्थिर परिसंपत्तियों आदि की समीक्षा करने और वसूली पूरी करने के लिए कार्य योजना तैयार करे।
- 5. कर्मचारियों की आवश्यकता को तर्कसंगत बनाकर और शाखाओं (यदि कोई हो) को बंद करके कर्मचारियों पर होने वाले खर्चोंको कम किया जाए ।
- 6. परिसंपत्ति बिक्री की अधिसूचना मुख्य रूप से बैंक परिसर में लगाई जाए और यह पारदर्शी ढंग से किया जाएगा। सभी तरल परिसंपत्तियों को 1 वर्ष के भीतर बेच कर वसूल किया जाएगा। काम के लिए न्यूनतम कर्मचारियों को बनाए रखने और शाखाओं को बंद करने और स्थिर परिसंपत्तियां बेचने के साथ आगे बढ़ने का फैसला पहले साल तक पूरा हो जाएगा। गिरवी रखी गई संपत्तियों को सरकार की राजस्व रिकॉर्ड पुस्तिका में अधिसूचित किया जाएगा।

- 7. आरसीएस द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी रूप से की जाएगी, कोटेशन आमंत्रित की जाएगी और आवश्यक हो तो प्रोसैस की जाएगी आरसीएस के दो अधिकारियों की उपस्थिति में। परिसंपत्ति वसूली आर्म्स लेंथ आधार पर की जाएगी। कोई भी परिसमापक या उसके रिश्तेदार नीलामी में भाग नहीं लेंगे। समिति का दृष्टिकोण अपनाने के लिए सरकारी विभागों एवं अन्य परिसमापकों को शामिल करते हुए परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए समिति बनाई जाएं।
- 8. परिसंपत्ति बिक्री के परिसमापन की प्रक्रिया निर्धारित अवधि के भीतर की जानी चाहिए और स्थिर /फ्लोटिंग-गिरवी या बंधक परिसंपत्तियों को ह्रासित होने नहीं देना चाहिए।
- 9. डीआईसीजीसी को घटनाक्रम की जानकारी दें और डीआईसीजीसी और आरबीआई दोनों को नियमित रूप से त्रैमासिक विवरण भेजें। डीआईसीजीसी के पास त्रैमासिक विवरणों के अलावा परिसमापक से कोई भी जानकारी मंगाने का अधिकार परिसमापन प्रक्रिया में निपटाए गए दावों पर आधारित होगा।
- 10. पूर्व कर्मचारियों को भुगतान और आरबीआई द्वारा लाइसेंस रद्द करने के आदेश में उल्लिखित किसी अन्य भुगतान को डीआईसीजीसी को पुनर्भुगतान पूरा होने के बाद ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि हमारे विधि विभाग द्वारा की गई है और परिसमापक द्वारा किसी तरजीही भुगतान की अनुमित नहीं है।
- 11.परिसमापन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना है। डीआईसीजीसी की सहमति के अनुसार परिसमापन पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाए। डीआईसीजीसी को पूरी राशि प्रेषित होने तक तरल निधियों से भुगतान नियमित आधार पर होना चाहिए।
- 12.आरसीएस स्वतंत्र रूप से परिसमापन प्रक्रिया की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कार्य योजना तैयार करेगा और डीआईसीजीसी को भेजेगा। आरसीएस डीआईसीजीसी की सहमति के बिना परिसमापन समाप्त नहीं करेगा या परिसमापक को नहीं हटाएगा। डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में वसूली रोकने वाले किसी भी नोटिस के खिलाफ अपील की जाएगी।
- 13.डीआईसीजीसी को पैसे के भुगतान के बाद वसूली की कवायद पूरी होने और सभी न पता लगाए जाने योग्य जमाकर्ताओं को सूचीबद्ध करने पर, आरसीएस की मंजूरी से समाप्ति प्रमाण पत्र और राइट ऑफ की अनुमित मांगें। सभी जमाकर्ताओं के दावों के निपटान और डीआईसीजीसी को देयता चुकाने की प्रक्रिया के बाद अन्य लेनदारों (गैर-बीमित जमाकर्ताओं और अन्य) को भुगतान शुरू हो जाएगा। परिसमापक को निर्धारित परिसमापन अविध के भीतर वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए।

\*\*\*\*\*



#### निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

## DESPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

भारतीय रिज़र्व बेंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोग/A wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India)

\_www.dicgc.org.in\_

### **Recovery Policy for Liquidated Banks**

- 1. The Liquidator would on receipt of appointment, prepare the claim list by first updating the depositor data base, name wise. This will be done on priority basis, well within the period stipulated as outer limit.
- 2. The liquidator would take stock of the balance sheet and other records and assess the cash, securities, easily realisable assets, fixed assets of the bank and prepare a plan for completing the recovery. He shall send a preliminary report to DICGC and copy to RCS. An action plan will be prepared for completing the liquidation proceedings and approved by RCS.
- 3. The liquidator will seek the powers of liquidator in writing from RCS and inform the public that the process of submission of claim to DICGC has been completed and process of realisable asset identification has been started. He will segregate the assets charged to the failed bank, as recoverable and non- recoverable and prioritise the recovery accordingly. He will also start the process of valuing the securities and fixed asset, if not made and issue notices to all borrower's account which are due to make repayment to the failed bank under relevant provisions for recovery. The liquidator will continue the existing process for recovery done by the liquidated bank, such as filing court cases, invoking of SARFAESI Act provisions as applicable and using other recovery powers conferred under the State Co-operative Societies Act.
- 4. After 1<sup>st</sup> year the liquidator to review the balance sheet/trial balance and other records and cash, securities, realisable assets, fixed assets, etc. of the bank and formulate an Action Plan for completing the recovery.
- 5. The expenses on staff and running of various offices is to be reduced by rationalising the staff requirement and closing down of branches (if any).
- 6. Notification of asset sale will be predominantly put in the bank premises and done transparently. All liquid assets will be sold off and realised within 1 year. Decision to retain minimum staff for the work and proceeding with closure of branches and selling fixed assets will be completed by first year. The mortgaged properties will be notified in revenue record books of government.
- 7. Auction process will be performed transparently as per policy approved by RCS, inviting quotations and processing if needed in presence of two officials from RCS. The asset recovery will be done on arm's length basis without any of the liquidator

- or his relatives participating in auction. Involving government departments, other liquidators for taking committee approach for sale of assets may be made.
- 8. Process of liquidation of asset sale should be done within the period stipulated and not allow the assets fixed/floating –mortgaged or hypothecated deteriorate.
- Inform DICGC of the developments and send quarterly statement regularly both to DICGC and RBI. DICGC will have its rights based on claim settled on liquidation process and rights to call for any information from liquidator in addition to Quarterly Statements.
- 10. The payments to the ex-employees and any other payment other than that mentioned in the Licence Cancellation Order by RBI may be made only after the repayment to DICGC is completed. This is confirmed by our Legal Department and no preferential payment is to be allowed by liquidator.
- 11. Every effort is to be made for completing liquidation process at the earliest. The time limit stipulated for completion of liquidation as per DICGC's consent may be adhered. Repayments from liquid funds must be on regular basis till the full amount is remitted to DICGC.
- 12.RCS will independently prepare the Action Plan for follow up of liquidation process and forward to DICGC. RCS to not start wind up of liquidation or remove liquidator without the consent of DICGC. Any notice stalling recovery will be appealed against in terms of the provisions of the DICGC Act.
- 13.On completion of exercise of recovery and listing all untraceable depositors after paying money to DICGC, seek with approval of RCS for closure certificate and permission to write off. Pay-off to other creditors (non-insured depositors and others) will start after the process of paying claim to all depositors and repaying the liability to DICGC. The liquidator should ensure recovery within stipulated liquidation period.

\*\*\*\*\*